न्यायालय उपखण्ड़धिकारी महोदय,सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 760/2019

1 देवेन्द्र सिंह पुत्र धीर सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2 गुरखाबसिंह पुत्र जसप्रीत सिंह पुत्र धीर सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0) नाबालिक जरिये कुदरती वली माता रमनदीप कौर पत्नी जसप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

3 रमनदीप कौर पत्नी जसप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1 परमजीत कौर पत्नी धीर सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री. जगनन्दन सिंह अधिवक्ता	वादीगण
2	श्री हरपाल सिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय दिनांक 5.12.19

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है चक 1 एस डी एस के खाता संख्या 7/13 प.न. 80/112 मु.न. 4 कि.न. 11 ता 25 प.न0 81/112 मु.न. 5 कि.न. 4 ता 7, 11 ता 25 प.न. 82/112 मु.न. 6 कि.न. 1 ता 25 प.न. 83/112 मु.न. 7 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 24 प.न. 83/113 मु.न 9 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 13, 19 ता 21, प.न. 82/113 मु.न. 10 कि.न. 1 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 प.न. 81/113 मु.न. 11 कि.न. 1 ता 5, 7 ता 14, 19 ता 22 प.न. 80/113 मु.न. 12 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 25 प.न. 80/114 मु.न. 21 कि.न. 1 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 प.न. 81/114 मु.न. 22 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 प.न. 81/115 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 21 कुल खाता 184 किता में 45.148 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड में से वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के दादा धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह के नाम से 2.128 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की मद संख्या 3 के अनुसार सजरा खानदान दर्ज है। वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के दादा धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह ने अपने जीवन काल में अपने नाम से दर्ज चक 1 एस डी एस के खाता संख्या 7/13 में 2.128 है0 अपनी खरीदशुदा आराजी की वसीयत वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 के हक में ब0 हि0 ब0 बिना किसी दबाब के अपनी स्वतन्त्र ईच्छा से दिनांक 26.05.2018 को अपने पूर्ण होश हवाश में करवा दी थी। वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के

Scanned by CamScanner

दादा धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह एवं वादी संख्या 2 के पिता जसप्रीत सिंह पुत्र धीर की मृत्यू हो चुकी है। इस कारण वादीगण उक्त आराजी की जरिये वसीयत हकदार एवं अधिकारीगण है इस कारण वादीगण उक्त आराजी की जरिये वसीयत खातेदारी घोषणा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा कर धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह का नाम कलमजन करवाने की कानूनन हकदार एवं अधिकारीगण है। वादी संख्या 3 वादी संख्या 2 की माता है एवं वादी संख्या 3 ने वादग्रस्त आराजी में कोई अनुतोष नही मांगा है क्यो कि माता अपने सुसर द्वारा करवायी गयी वसीयत से सहमत एवं रजामंद है। वादी संख्या 1 स्वय एवं वादी संख्या 2 जरिये कुदरतीवली माता की उक्त आराजी पर जरिये वसीयत शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक प्रतिबादीगण के देखा देखी ऐलानिया तौर पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वादी संख्या 1 स्वय एवं वादी संख्या 2 जरिये कुदरतीवली माता ने अपने हक व हिस्सा एवं जरिये वसीयत प्राप्त आराजी पर कडी मेहनत करके एवंम पैसा खर्च करके ऊपजाऊ योग्य बनाया है लेकिन विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से न होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने का हर वक्त अंदेशा बना रहता है। इस कारण वादीगण अपने हक व हिस्सा व जरिये वसीयत प्राप्त की आराजी की खातेदारी घोषणा राजस्व रिकार्ड में करवाने की कानूनन हकदार एवं अधिकारी है। वादी संख्या 1 स्वय एवं वादी संख्या 2 जरिये कुदरतीवली माता ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि वह वादीगण को जरिये वसीयत प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से ब0 हि0 ब0 करवा देवे एवं वादग्रस्त आराजी का विरासतन इन्तकाल दर्ज न करवाये तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण की बात मानने से दिनांक 26.08.2019 को मौजा गदरखेड़ा में इंकार कर दिया वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण पेश कर निवेदन है :–इस आशय की घोषणा की जावें कि चक 1 एस डी एस के खाता संख्या 7/13 में धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह के नाम से दर्ज 2.128 है0 आराजी के जरिये वसीयत दिनांक 26.05.2018 के आधार पर वादीगण संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार है एवं उक्त खाता से धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह का नाम कलमजन किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों दोहराते हुये वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादीगण के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादग्रस्त आराजी वादीगण संख्या 1 व 2 के दादा के नाम से दर्ज है एवं उक्त आराजी की वसीयत वादीगण के दादा ने वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित करवायी है एव वादीगण मुताबिक वसीयत खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अनूतोष चाह रहे है,एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये ईकबालदावा पेश किया है, एव मुताबिक वसीयतनूसार वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। वसीयतकर्ता धीर सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत में किसी भी पक्षकार ने विरोध प्रकट नही किया है एव वसीयत के अनूसार कब्जा काश्त को स्वीकार किया है।

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वादीगण ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबालदावा, अभिकथनों एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 1 एस डी एस के खाता संख्या 7/13 में धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह के नाम से दर्ज 2.128 है0 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.12.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्यांक –01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डधिकारी महोदय,सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 760 / 2019

1 देवेन्द्र सिंह पुत्र धीर सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2 गुरखाबसिंह पुत्र जसप्रीत सिंह पुत्र धीर सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0) नाबालिक जरिये कुदरती वली माता रमनदीप कौर पत्नी जसप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

3 रमनदीप कौर पत्नी जसप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1 परमजीत कौर पत्नी धीर सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकार अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगनन्दन सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री हरपाल सिंह सरां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 1 एस डी एस के खाता संख्या 7 / 13 में धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह के नाम से दर्ज 2.128 है0 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से धीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह का नाम कलमजन किया जाता है, उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व को पालनार्थ पत्र जारी हो। बसबत मेरे दस्तखत एवं न्यायालय की मुद्रा में आज दिनांक 4.12.19 को जारी की गई।

4/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.03 17:50:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: